P: ISSN NO.: 2394-0344 RNI No.UPBIL/2016/67980 VOL-3* ISSUE-3* June- 2018
E: ISSN NO.: 2455-0817 *Remarking An Analisation*

बुक्सा जनजाति में राजनीतिक सहभागिता का मिथक अथवा वास्तविकता

(बाजपुर विकासखंड के संदर्भ में)

सारांश

किसी भी समाज की उन्नति एवं विकास के लिए उस समाज के लोगों का शिक्षित होना, जागरूक होना, उत्तम स्वास्थ्य के साथ ही साथ रोजगार व स्वरोजगार के लिए संसाधनों तक पहुॅच का होना एक अनिवार्य अंग माना गया है। पंचायत स्तर पर लोगों में शिक्षा और तकनीकी संसाधन शुरू होने से लोगों के सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण बदलाव दिखाई दे रहा है और 21वी सदी में विकसित समाजों के समकक्ष नेतृत्व प्रदान करने के योग्य बने पंचायत के लोग अपने अधिकारों तथा अवसरों की जानकारी सूचना इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं । लोगों के जीवन स्तर (पोषण, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य आदि) में महत्वपूर्ण सुधार दिखाई दे रहा है। वहीं बुक्सा जनजाति समाज की महिलाएं आज भी पंचायत स्तर पर अग्रणी भूमिका का निर्वहन नहीं कर पा रही हैं।

मुख्य शब्द : जनजाति, राजनीति, पंचायत, अशिक्षा, तकनीकी, सशक्तिकरण, सहभागिता, ई–पंचायत ।

हेम चन्द्र
शोध छात्र,
समाजशास्त्र विभाग,
सोबन सिंह जीना परिसर,
अल्मोड़ा, कु0वि0वि0,
नैनीताल

रेनू प्रकाश
असिस्टेंट प्रोफेसर,
समाजशास्त्र विभाग,
सोबन सिंह जीना परिसर,
अल्मोड़ा, कु0वि0वि0,
नैनीताल

प्रस्तावना

बुक्सा जनजाति समाज के लोगों को वर्तमान में पंचायत को राज्य संचित निधि से व्यय की जाने वाली राशि की जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती तथा साथ ही साथ ई–पंचायत की जानकारी का भी अभाव रहता है। प्रति व्यक्ति आय में पंचायत स्तर पर आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु भारतीय संविधान के अनुसूची 11 के तहत जहां विभिन्न विषयों को शामिल किया गया है, जैसे – सिंचाई, पेयजल, पशुपालन, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली तथा रसोई के लिए ईंधन की व्यवस्था करना पंचायत के प्रमुख कार्य हैं । इसके अतिरिक्त भूमि सुधार, भूमि संरक्षण, मत्स्य उद्योग, वन उद्योग, आवास, परिवार कल्याण, समाज कल्याण, लोक वितरण प्रणाली और सामुदायिक शक्तियों की अनुशंसा पंचायत के दायरे में आते हैं। लगभग 29 विषय आम जीवन के सामाजिक और आर्थिक कल्याण से जुड़े हैं। परंतु बुक्सा जनजाति की महिलाओं को जानकारी और पारदर्शिता के अभाव में इन सभी कार्यक्रमों का सफल ढंग से क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। ई–पंचायत तकनीक द्वारा लोगों में राजनीतिक, आर्थिक अधिकार के प्रयोग से सामाजिक जागरुकता आ रही है और लोगों में नागरिक गुणों का विकास हो रहा है । जहाँ गाँवों में हुए विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों की मदद से शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य का स्तर ऊपर उठा है और मनरेगा (डछत्म्ळ।) जैसे रोजगारपरक कार्यक्रम ठच्स् वर्ग के जीवन में रोशनी बनकर आए हैं वहीं बुक्सा जनजाति समाज की महिलाएं आर्थिक रुप से सक्षम होने व राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए दूसरों पर निर्भर हैं। अशिक्षा एवम् कम पढ़े–लिखे होने के कारण बुक्सा जनजाति समाज की महिलाएं राजनीतिक लाभ पूर्ण रुप से नहीं ले पाती। ये जनजातीय महिलाएं ई–पंचायत का भी लाभ प्राप्त नहीं कर पा रही हैं। क्योंकि अशिक्षा उनके मार्ग में सबसे बड़ा व्यवधान का कार्य कर रहा है। राज्य सरकार द्वारा आरक्षित सीटों में भी जो महिला ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य चुनी हुई हैं वह महिलाएं भी पूर्ण रूप से अपने समाज के लोगों के लिए ई–पंचायत एवं राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर लागू नहीं कर पा रही हैं । शोध अध्ययन के माध्यम से बुक्सा जनजाति समाज की महिलाओं में पंचायत स्तर पर राजनीति में उनकी भूमिका एवं राज्य सरकार व केंद्र सरकार स्तर पर बनी कल्याणकारी योजनाओं की वास्तविकता एवं मिथक को उजागर करने का प्रयास किया गया है।

जनजाति की अवधारणा

डी0 एन0 मजूमदार[1] (1958: 365) ने भौगोलिक आधार पर भारत की जनजातियों को तीन श्रेणियों में विभक्त किया है–1. उत्तर और उत्तर पूर्वी क्षेत्र, 2. मध्य क्षेत्र और 3. दक्षिणी क्षेत्र।

बी0 के राय बर्मन[2] (1972:5) ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय समुदायों को ऐतिहासिक, नृजातीय व सामाजिक, सांस्कृतिक सम्बन्धों के आधार पर 5 क्षेत्रीय समूह में बांटा है– 1. उत्तर पूर्वी भारत जिसके अन्तर्गत उत्तर–पूर्व–फ्रंटियर– एंजेसी (एन0 ई0 एफ0 ए0) नागालैण्ड मणिपुर और त्रिपुरा आते है। 2. उत्तर तथा उत्तर पश्चिमी उपहिमालय क्षेत्र जिसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों (अब उत्तराखण्ड) को सम्मिलत किया जाता है। 3. मध्य और पूर्वी भारत जिसके अन्तर्गत पश्चिमी बंगाल, बिहार, उडीसा, मध्य प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश को सम्मिलित किया जाता है। 4. दक्षिण भारत जिसके अन्तर्गत मद्रास, केरल तथा मैसूर आते हैं और 5. पश्चिमी भारत, जिसके अन्तर्गत राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र को सम्मिलित किया जाता है।

बी0 एस0 गुहा[3] (1944) ने भारत में रहने वाली जनजातियों को तीन विस्तृत भौगोलिक क्षेत्रों में विभक्त किया है–

1. उत्तर तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र जिसके अन्तर्गत लेह, शिमला, लुसाई पहाडिया, पूर्वी कश्मीर, पूर्वी पंजाब, हिमांचल प्रदेश, उत्तरी उत्तर प्रदेश, आसाम की पहाडियां आदि को शामिल किया जाता है। इस क्षेत्र की प्रमुख जनजातियों गद्दी, गुज्जर, लाम्बा, थारु, भोटिया, जौनसारी, नागा, कूकी, खासी, खम्पा, कनोटा आदि प्रमुख है।
2. मध्य क्षेत्र जिसके अन्तर्गत बंगाल, उ बिहार, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, दक्षिण राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तरी बम्बई और उड़ीसा को सम्मिलित किया जाता है। इस क्षेत्र की प्रमुख जनजातियों में बिरहोर, संथाल, हो, खरिया, भुआन, बैंगा, गोंड कोल, कोटा, कोखा, भील, मुसहर, भुइयां, मुण्डा हैं।
3. दक्षिणी क्षेत्र के अन्तर्गत हैदराबाद, कुर्ग, मैसूर, ट्रिवनकोर, कोचीन, आन्ध्र प्रदेश, बिहार और मद्रास हैं।इस क्षेत्र की प्रमुख जनजातीय समुदाय इरुला, चैंचू, टोडा, कादर, पलियान, मलायम, कोटा, कुरम्बा आदि हैं।

साहित्यावलोकन

भारत में जनजातीय अध्ययनों का आरम्भ सन् 1774 में सर विलियम द्वारा 'एशियाटिक सोसायटी ऑफ बंगाल' के प्रकाशन से माना जाता है। इन्होने भारत में प्रकृति और मनुष्य के अध्ययन हेतु सोसायटी का अध्ययन क्षेत्र निर्धारित कर शोधार्थियों एवं प्रकाशकों का मार्ग प्रशस्त किया। भारत में जनजातियों के विषय में अध्ययन करने वाले विचारकों में राय[4] को प्रथम भारतीय लेखक होने का श्रेय प्राप्त है। उन्होंने उड़ीसा जनजाति के 'भुइयों' पर विस्तृत निबन्ध प्रकाशित किया।[5]

जनजातियों का अध्ययन करने वाले नृतत्वशास्त्रियों में डाल्टन(1872), रिजले (1891 तथा 1905), ओमैल (1932 तथा 1934), हीरा लाल तथा रसेल (1916), आर0 बी0 ब्रेनवीज(1907) इत्यादि सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त जे0 एच0 हटट्न[6] एथोविन[7] एवं ग्रिगसन[8] के नाम विशेष रुप से महत्वपूर्ण है।

सन् 1930 एवं 1940 के मध्य अनेक शोधार्थियों द्वारा मानवशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में जनजातीय अध्ययन करने का क्रम आरम्भ किया गया। इन अध्ययनकर्ताओं में डी0 एन0 मजूमदार[9], बेरियर एल्विन[10], डी फोर्ड[11], धुरिये[12] के नाम प्रमुख हैं। इसके पश्चात् एस0 सी0 दुबे[13] , आर0 एन0 सक्सेना[14], एल0 पी0 विद्यार्थी[15] तथा आर0 डी0 सनवाल[16] ने भी मानव शास्त्रीय पद्धतियों की सहायता से विभिन्न जनजातियों का विवरणात्मक पक्ष प्रस्तुत किया।

उत्तर प्रदेश में जनजातीय अध्ययनों का प्रारम्भ इलियट(1869)[17] के अध्ययन से माना जा सकता है। जिसमें उत्तर प्रदेश के विभिन्न मानव समूहों के अतिरिक्त कुछ जनजातीय समूहों जैसे– जौनसारी, थारु, बुक्सा, भोटिया आदि का संक्षिप्त उल्लेख मिलता है। सन् 1985 में नैसफील्ड[18] ने कलकत्ता से प्रकाशित एक शोध पत्रिका में उत्तर प्रदेश की थारु एवं बुक्सा जनजाति की संस्कृति एवं धार्मिक प्रस्थिति पर एक विस्तृत लेख प्रकाशित किया। जिसके फलस्वरुप उत्तर प्रदेश को पहली बार जनजातियों के मानचित्र पर स्थान दिया गया। इसी क्रम में स्टीवर्ड[19], एटकिन्सन[20],रिजले[21], विलयम क्रुक[22] नं विल[23] ने थारु , बुक्सा, भोटिया तथा वनरावत जनजातियों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया। बीसवीं शताब्दी के आरम्भ में ग्रियर्सन[24], एल0 डी0 जोशी[25] आदि ने उत्तर प्रदेश की जनजातियों पर विभिन्न अध्ययन करके महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रस्तुत की। यद्यपि उनके अध्ययन का क्षेत्र भारत की अनेक अन्य जनजातियों तक विस्तृत था। ब्रिटिश अधिकारी ब्लट[26], टर्नर[27]ने भी उत्तर प्रदेश के जनजातीय समुदायों में थारु एवं बुक्सा जनजाति को सम्मिलित करते हुए इनकी जनांकिकीय विशेषताओं पर प्रकाश डाला। थारु एवं बुक्सा जनजाति का उद्धरण सर्वप्रथम अब्दुल फजल द्वारा रचित ग्रन्थ आईने– ए– अकबरी[28] से प्राप्त होता है। इस ग्रन्थ में थारु , बुक्सा जनजाति के निवास का उल्लेख भू– राजस्व के सन्दर्भ में किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रधान एच0डी0[29], कार्वे[30], हेमन्डौर्फ[31] ने प्रदेश की जनजातियों पर महत्वपूर्ण अध्ययन किये। भारत में स्वतन्त्रता के पश्चात् जब जनजातियों के विकास को एक प्रमुख लक्ष्य के रुप में स्वीकार किया तब उत्तर प्रदेश में भी अनेक शोधार्थियों द्वारा यहॉ की जनजातियों का विभिन्न प्ररिप्रेक्ष्यों में अध्ययन किया जाने लगाा। इस क्रम में ए0एस0 श्रीवास्तव[32], मजूमदार[33], एम0एन0 श्रीनिवास[34], सरोजनी विष्ट[35], बरुआ एण्ड फूकन[36], बी0 एस0 विष्ट[37] ने थारु एवं बुक्सा जनजाति के विभिन्न पक्षों पर व्यापक अध्ययन किये। एन0के0 बोस[38], अमीर हसन[39], के0 आर0 गोपाल[40] ने भी थारु एवं बुक्सा जनजाति पर महत्वपूर्ण सर्वेक्षण किये तथा सर्वेक्षण में इस समुदाय में विद्यमान समस्याओं एवं आर्थिक पक्षों को अध्ययन के आधार के रुप में लिया। महिलाओं के सन्दर्भ में एन0 देसाई[41], ए0 के0 गुप्ता[42], इन्द्रजीत कुंवर[43], प्रमिला कपूर[44] एवं दीपा माथुर[45] का कार्य भी उल्लेखनीय रहा है। इसके अतिरिक्त पत्र पत्रिकाओं तथा अनेक समाचार पत्रों में भी थारु एवं बुक्सा जनजाति का उल्लेख मिलता है।[46]

बुक्सा जनजाति

बुक्सा षब्द की उत्पत्ति के सम्बन्ध में विभिन्न विद्वानों/षोधकर्ताओं ने अनेक किवदन्तियों का उल्लेख किया। बोंक षब्द से बोक्सा तथा कालान्तर में बुक्सा षब्द का सम्बन्ध इस जनजाति के अप्रवास काल के सन्दर्भ में भी परिलक्षित होता है। इस सम्बन्ध में सबसे प्राचीन उल्लेख आइन–ए–अकबरी में मिलता है। जिसके अन्तर्गत अकबर के षासन के तराई क्षेत्र में बुक्सार क्षेत्र (वर्तमान में ऊधमसिंह नगर से किलपुरी क्षेत्र) का उल्लेख मिलता है। जिसे अकबर ने कुमाऊँ के राजा रूद्रचन्द को पंजाब के एक सफल युद्ध में अपनी वीरता प्रदर्षित करने के फलस्वरूप प्रदान किया था।[47]

उत्तर प्रदेष के नैनीताल, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल एवं बिजनौर जनपदों का तराई क्षेत्र प्राचीन काल से ही बुक्सा जनजाति का निवास स्थान रहा है। षारीरिक बनावट के आधार पर एक औसत बुक्सा की औसत लम्बाई (5′ 4′′ से 5′ 8′′) लिये हुए तथा गठीले व मजबूत षरीर वाला दिखाई देता है। बुक्सा स्त्री व पुरूश दोनों ही के चमड़े का रंग, गेहुंवा या गहरा काला होता है। चेहरा चौड़ा, तिरछी आँखें, चपटी नाक, मोटे होंठ और काले बाल। मजूमदार (1944 : 37) ने मानवमितीय एवं रक्त परीक्षण के आधार पर बुक्सा जनजाति की थारूओं के ही समान मंगोल प्रजातीय उत्पत्ति को प्रमाणित किया है। अमीर हसन (1979 : 25) ने इन्हें सबसे अधिक हिन्दूकृत जनजातियों में से एक माना है।[48] अनेक प्रकार के अन्धविष्वास जादू–टोने भी बोक्सा जनजाति में प्रचलित है।[49] बुक्सा जनजाति की भाशा बुक्साडी है।[50] किन्तु अनेक समुदायों से सम्पर्क तथा इनके सांस्कृतिक विकास के साथ–साथ बुक्साडी भाशा के षब्दकोष में ब्रज, हिन्दी, उर्दू एवं कुमाऊँनी षब्दों का समावेष होता रहा है।[51] बोक्सा जनजाति को मुख्यतः 5 उपजातियों में विभक्त किया जा सकता है– 1. जदुवंषी, 2. पँवार, 3. परतजा, 4. राजवंषी, 5. तुनवार। इन सब उपजातियों में सगोत्रीय विवाह निशिद्ध है।[52]

शोध अभिकल्प एवं पद्धति शास्त्र

प्रस्तुत अध्ययन का मुख्य उद्देश्य अन्वेषणात्मक है। अतः शोध पत्र हेतु इस अध्ययन में अन्वेषणात्मक एवं विवेचनात्मक शोध अभिकल्प का उपयोग किया गया है । अतः अध्ययन के अन्तर्गत ऊधमसिंह नगर जनपद के बाजपुर विकास खण्ड में निवास करने वाली बुक्सा जनजाति महिलाओं पर एक समाजशास्त्रीय अध्ययन किया गया।

प्रस्तुत अध्ययन को निदर्श पर आधारित किया गया है । प्राथमिक सर्वेक्षण के आधार पर बाजपुर ब्लॉक में कुल 57 ग्राम पंचायतें स्थित हैं। जिसमें कुल जनसंख्या लगभग 1,37,329 है जिसमें कुल पुरूष लगभग 71,379 एवं महिला जनसंख्या लगभग 65,950 है। इन समुदायों में अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या लगभग 14,325 है[53] जिसमें लगभग पुरूष जनसंख्या–8,125 एवं महिलाओं की संख्या–6,200 है। महिलाओं की संख्या अधिक होने के कारण अध्ययन क्षेत्र में समग्र रूप से इन्हें सम्मिलित नहीं किया जा सकता था। अतः अध्ययन हेतु दैव निदर्शन पद्धति का उपयोग कर निदर्श चयन का निर्णय लिया गया। निदर्श पूर्णतया प्रतिनिधित्व पूर्ण रहे इसलिए निर्णय लिया गया कि इन दोनों श्रेणियों से निदर्श के रूप में 310 महिलाओं का चयन लॉटरी पद्धति द्वारा किया गया। प्रस्तुत शोध पत्र मुख्य रूप से प्राथमिक आँकड़ों पर आधारित है तथा आंकड़ें एकत्र करने के लिए मुख्य रूप से साक्षात्कार अनुसूची तथा आवश्यकतानुसार असहभागी अवलोकन पद्धति का उपयोग किया गया ।

किसी भी शोध की व्याख्या से पूर्व उत्तरदाताओं की स्थिति एवं उनका पार्श्व चित्र एवं पृष्ठभूमि को देखना एक परम्परा है एक आवश्यकता भी ऐसा माना जाता है कि उससे शोध की समस्या को विभिन्न आयामों/ परिप्रेक्ष्यों से देखने में सहायता प्राप्त होती है। आयु एक ऐसा चर होता है कि जो व्यक्ति के विचारों एवं उनके सोचने समझने की प्रक्रिया में एक विशेष योगदान देता है। प्रस्तुत शोध में सभी आयु समूह के उत्तरदाताओं को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। जैसा कि निम्न सारणी से स्पष्ट होता है–

सारणी संख्या– 1.1
उत्तरदाताओं की आयु

आयु (वर्षों में)	18–25	25–32	32–39	39–46	46–53	53–60	60 से अधिक	योग
आवृत्ति	69	51	68	52	35	33	2	310
प्रतिशत	22.26%	16.45%	21.94%	16.77%	11.29%	10.65%	0.64%	100%

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि सर्वाधिक उत्तरदाता (22.26 प्रतिशत) 18 से 25 वर्ष की आयु समूह के हैं इसके विपरीत सबसे कम उत्तरदाता (0.64 प्रतिशत) 60 वर्ष से अधिक आयु समूह के हैं। सारणी से स्पष्ट होता है कि 32–39 वर्ष के उत्तरदाताओं का प्रतिशत भी अच्छा खासा है। अतः उपरोक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि शोध में अधिकांश उत्तरदाता 46 वर्ष से कम आयु के हैं।

शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो व्यक्ति के विचारों को परिवर्तित कर देती है जिससे व्यक्ति के सोचने समझने का दायरा विकसित हो जाता है। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो व्यक्ति के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन तथा उनकी परिस्थितियों को भी परिवर्तित कर सकती है। निम्न सारणी में उत्तरदाताओं का साक्षरता के आधार पर वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है–

सारणी संख्या– 1.2
उत्तरदाताओं की साक्षरता का स्तर

साक्षरता का स्तर	निरक्षर	साक्षर	योग
आवृत्ति	193	117	310
प्रतिशत	62.26%	37.74%	100%

उपरोक्त सारणी के आधार पर स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक उत्तरदाता(62.26 प्रतिशत) निरक्षर हैं इसके विपरीत (37.74 प्रतिशत) उत्तरदाता साक्षर हैं। उपरोक्त सारणी के आधार पर कहा जा सकता है कि सरकारी/ गैर सरकारी योजनाओं के बाद भी इतनी बडी संख्या में महिलाओं का निरक्षर होना एक दुखद घटना है। जहॉ एक ओर सम्पूर्ण विश्व महिला सशक्तिकरण की बात करता है साथ ही महिलाओं को आगे बढाने के लिए कई योजनायें चलाई जा रही हैं कई योजनाओं का शुभारम्भ हो रहा है ऐसी स्थिति में बुक्सा जनजाति की महिलाओं का निरक्षर होना वास्तव में जनजातीय समाज में असंतुलन की स्थिति पैदा करता है।

राजनीतिक सहभागिता

अनेक सामाजिक सुधारकों के प्रयास द्वारा 19 वीं शताब्दी के अन्त तथा 20 वीं शताब्दी के प्रारम्भ में सम्पूर्ण समाज में एक नई चेतना का विकास हुआ महिला वर्ग भी इससे अछूता नहीं है। आधुनिकीकरण तथा शिक्षा के सुअवसर ने महिलाओं को सामाजिक तौर पर ही नहीं बल्कि आर्थिक एवं राजनैतिक स्तर पर भी बराबरी का दर्जा देने का प्रयास किया है। वर्तमान जीवन शैली अच्छे जीवन स्तर को जीने की लालसा तथा समाज में उच्च परिस्थिति प्राप्त करने के लिए महिलायें परम्परागत घर की चार दिवारी से बाहर निकलकर आर्थिक एवं राजनैतिक क्षेत्र में अपना पूर्ण योगदान देकर एक नई भूमिका का निर्वहन कर रही हैं। जनजातीय समाज में भी महिलाओं में एक नई चेतना का विकास देखा जा सकता है। चूँकि इस समाज की संस्कृति, परम्पराएं, धार्मिक रीति–रिवाज तथा रहन–सहन का स्तर समाज के अन्य वर्गों से हटकर है। अतः अध्ययन में यह जानने का प्रयास किया गया है कि संवैधानिक तौर पर महिलाओं के राजनैतिक एवं आर्थिक निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी वर्तमान में सशक्त मानी जा सकती है। साथ ही राजनैतिक क्षेत्र में भी महिलाओं की सहभागिता बढ़–चढ़कर मानी गई है। अतः बुक्सा जनजाति महिलाओं के आर्थिक एवं राजनैतिक क्षेत्र में सहभागिता विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी योजनाओं के अनुरूप हैं या नहीं यह अध्ययन में देखने का प्रयास किया गया है।

ऐसा माना जाता है कि भारत में जनजातीय महिलाओं की एक विशाल संख्या अधीनता एवं उपेक्षित वर्ग सा जीवन व्यतीत कर रही है। जिसके कारण लैंगिक विषमता धीरे–धीरे बढती जा रही है। यद्यपि आर्थिक एवं राजनैतिक योजनाओं का लाभ इस समाज को मिल रहा है किन्तु जागरूकता के अभाव एवं साक्षरता की दर कम होने के कारण ये महिलायें उतनी लाभान्वित नहीं हो पाती जितना इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य रहा है। निम्नांकित सारणियों द्वारा बुक्सा जनजाति की महिलाओं का राजनैतिक क्षेत्र में सहभागिता एवं उसके मिथक को देखने का प्रयास किया गया है।

प्राचीन काल में महिलाओं में राजनैतिक सहभागिता प्रायः कम पाई जाती थी। किन्तु संवैधानिक आरक्षण होने के कारण वर्तमान समय में महिलाओं में राजनैतिक गतिशीलता एवं सहभागिता तीव्र गति से बडी है। किन्तु जनजातीय समाज में महिलाओं की राजनैतिक सहभागिता एवं गतिशीलता एक मृग मरीचिका बना हुआ है। यद्यपि 73 वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित करने के लिए कई विशेष अधिनियम पारित करते हुए समिति गठित कर दी गई। किन्तु जनजातीय समाज की महिलाओं में राजनैतिक जागरूकता में कोई विचारणीय परिवर्तन नहीं आयें। अधिकांश सारणियॉ इस बात को स्पष्ट करती हैं–

सारणी संख्या – 1.3

राजनीति में भाग लेने के सन्दर्भ में उत्तरदाताओं के मत

राजनीति में भाग लेना	हॉ	नहीं	योग
आवृत्ति	30	280	310
प्रतिशत	9.68:	90.32:	100:

उपरोक्त सारणी के आधार पर कहा जा सकता है कि सर्वाधिक उत्तरदाता (90.32 प्रतिशत) किसी प्रकार की भी राजनीति में भाग नहीं लेते जबकि केवल 9.68 प्रतिशत उत्तरदाता राजनैतिक क्रियाओं में भाग लेती हैं। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि बुक्सा जनजाति की महिलाओं में राजनैतिक सहभागिता एवं क्रियाशीलता में उपेक्षा का भाव पाया गया। राजनैतिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेने की स्थिति में उत्तरदाताओं के मतों को निम्नांकित सारणी के आधार पर स्पष्ट किया गया है–

सारणी संख्या– 1.4

उत्तरदाताओं द्वारा राजनीति में भाग लेने के सन्दर्भ में उत्तरदाताओं के मत

राजनीति में सहभागिता	मतदान द्वारा	पार्टी के सदस्य बनकर	योग	स्वयं चुनाव लड़कर	
आवृत्ति	305	–	–	5	310
प्रतिशत	98.39%	–	–	1.61%	100%

जैसा कि सारणी से स्पष्ट होता है कि 98.39 प्रतिशत उत्तरदाता यदि राजनीति में भाग लेते हैं तो केवल मतदाता के रूप में इसके विपरीत केवल 1.61 प्रतिशत उत्तरदाता स्वयं चुनाव लड़कर राजनीति में सक्रिय भागीदारी करती हैं।

सारणी संख्या– 1.5

मतदान किए जाने के सन्दर्भ में उत्तरदाताओं के मत

मतदान का आधार	व्यक्ति की योग्यता देखकर	जातिगत आधार पर	आपसी रिस्तेदारी व सम्बन्धों के आधार पर	राजनीतिक दल के आधार पर	किसी के द्वारा सलाह देने पर	योग
आवृत्ति	107	17	08	175	03	310
प्रतिशत	34.52:	5.48:	2.58:	56.45:	0.97:	100:

सारणी के आधार पर कहा जा सकता है कि अधिकांश उत्तरदाताओं (56.45 प्रतिशत) द्वारा मतदान राजनैतिक दल के आधार पर किया जाता है। जबकि 0. 97 प्रतिशत उत्तरदाता किसी अन्य की सलाह पर अपना मतदान करते हैं। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि अधिकांश उत्तरदाता राजनैतिक दलों के शक्ति प्रदर्शन एवं कार्य प्रणाली से प्रभावित होकर अपने मत का प्रयोग करते हैं।

सारणी संख्या– 1.6
महिलाओं द्वारा राजनीति में सक्रिय सहभागिता के सन्दर्भ में उत्तरदाताओं के मत

राजनीति में सक्रिय सहभागिता	हॉ	नहीं	योग
आवृत्ति	112	198	310
प्रतिशत	36.13%	63.87%	100%

जैसा कि सारणी से स्पष्ट होता है कि अधिकांश उत्तरदाता (63.87 प्रतिशत) महिलाओं की राजनीति में सक्रिय सहभागिता उचित नहीं मानते। जबकि 36.13 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि महिलाओं को राजनीति में सक्रिय सहभागिता देनी चाहिए। संक्षेप में कहा जा सकता है कि निरक्षरता एवं अज्ञानता के कारण आज भी बुक्सा जनजाति की महिलायें राजनीति के क्षेत्र से दूर रहना ज्यादा पसंद करती हैं। किन्तु अध्ययन में यह पाया गया कि सामाजिक कार्यो के नेतृत्व की जहॉ बात आती है तो वह सक्रिय सहभागिता का निर्वहन करती हैं। जैसा कि निम्न सारणी से स्पष्ट होता है–

सारणी संख्या– 1.7
सामाजिक कार्यों में आगे रहकर नेतृत्व करने के सन्दर्भ में उत्तरदाताओं के मत

सामाजिक नेतृत्व की क्षमता	हॉ	नहीं	योग
आवृत्ति	249	61	310
प्रतिशत	80.32%	19.68%	100%

जैसा कि उपरोक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक उत्तरदाताओं (80.32 प्रतिशत) ने यह स्वीकार किया है कि वह सामाजिक कार्यों (सांस्कृतिक समारोह, धार्मिक उत्सव, विवाह समारोह आदि) में अपनी सक्रिय सहभागिता रखती हैं। जबकि 19.68 प्रतिशत उत्तरदाता केवल तटस्थ रहकर इन सामाजिक कार्यों में सहभागिता करती है।

भारतीय समाज में जनजातियों की परिकल्पना उनके भौगोलिक और सामाजिक अलगाव के रूप में की जाती है। किन्तु औपनिवेशिक शासन के उद्भव ने एक समान नागरिक योजना को लाकर समानता की स्थिति पैदा की जिसका परिणाम यह हुआ कि बडे पैमाने पर जनजातीय समाज की अधिकांश भूमि गैर जनजातीय लोगों के पास चली गयी। जिस कारण इस समाज के अन्य वर्गों तथा उच्च जातियों से सदैव सामाजिक, सांस्कृतिक व धार्मिक तौर पर कई प्रकार के मतभेद व विरोध बने रहते हैं। ऐसी स्थिति में यह माना जाता है कि जनजातीय समाज राजनीति में भाग ले करके अपने अधिकारों के लिए लड़ सके। निम्नांकित सारणी में इसी बात को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है–

सारणी संख्या– 1.8
उच्च जाति या अन्य वर्ग से मतभेद या विरोध के कारण राजनीति में सहभागिता के सन्दर्भ में उत्तरदाताओं के मत

उच्च जाति या अन्य वर्ग से मतभेद या विरोध	हॉ	नहीं	योग
आवृत्ति	114	196	310
प्रतिशत	36.77%	63.23%	100%

जैसा कि उपरोक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि अधिकांश उत्तरदाता (63.23 प्रतिशत) ने इस बात को अस्वीकार किया है कि वह उच्च जाति या अन्य वर्गों से वैचारिक मतभेद के विरोध में राजनीति में अपने अधिकारों के लिए आना चाहते हैं। जबकि 36.77 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इस बात पर भी सहमति व्यक्त की है कि वैचारिक मतभेद एवं विरोध के कारण वह राजनीति में आना चाहती हैं। निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि अधिकांश उत्तरदाता इस बात को तो स्वीकार करते हैं कि उच्च जाति या अन्य वर्गों से उनके अनेक वैचारिक मतभेद हैं जो कि उनके अधिकारों के मार्ग में रोड़े अटकाता है। किन्तु राजनीति का क्षेत्र अधिकारों को प्राप्त करने के मार्ग के रूप में उचित नहीं समझते।जबकि उन उत्तरदाताओं की संख्या भी अच्छी खासी है जो मानते हैं कि राजनीति वैचारिक मतभेद का विरोध तथा अधिकारों को प्राप्त करने का आसान तरीका है।

सारणी संख्या– 1.9
परिवार के सदस्य को राजनीति में सक्रिय सहभागिता के सन्दर्भ में उत्तरदाताओं के मत

पारिवारिक सदस्य की राजनीतिक सहभागिता	हॉ	नहीं	योग
आवृत्ति	255	55	310
प्रतिशत	82.26%	17.74%	100%

जैसा कि सारणी से स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक उत्तरदाता (82.26 प्रतिशत) अपने परिवार के सदस्यों को राजनीति में लाना चाहते हैं। जबकि 17.74 प्रतिशत उत्तरदाता अपने पारिवारिक सदस्यों को राजनीति में नहीं लाना चाहती।

सारांश रूप में कहा जा सकता है कि जहॉ एक ओर उत्तरदाता स्वयं सक्रिय राजनीति में भाग नहीं लेना चाहती हैं वहीं दूसरी ओर सामाजिक एवं आर्थिक सुदृढता के लिए अपने पारिवारिक सदस्यों को राजनीति में सक्रिय सहभागिता के लिए प्रेरित करती है। इसी श्रृंखला में यह जानना आवश्यक है कि क्या उत्तरदाताओं को राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त है। निम्न सारणी इसी बात को इंगित करती है–

सारणी संख्या– 1.10
राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के लाभ के सन्दर्भ में उत्तरदाताओं के मत

राज्य सरकार/केन्द्र सरकार की योजनाओं से लाभ	हॉ	नहीं	योग
आवृत्ति	52	258	310
प्रतिशत	16.77%	83.23%	100%

उपरोक्त सारणी के आधार पर कहा जा सकता है कि सर्वाधिक उत्तरदाताओं (83.23 प्रतिशत) को राज्य सरकार/ केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं है। जबकि 16.77 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि उन्हें इन योजनाओं का लाभ प्राप्त होता है।

निष्कर्ष

बुक्सा जनजातीय समाज की महिलाओं की पंचायत स्तर पर राजनीति में भूमिका एवं राजनीतिक स्तर पर राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा पंचायतों के उत्थान के लिए विकासात्मक कार्यक्रमों के बावजूद बुक्सा जनजाति महिलाओं का निम्न जीवन स्तर का होना इस बात को इंगित करता है कि बुक्सा जनजाति की महिलाएं अशिक्षा के कारण अपने अधिकारों का पूर्ण रुप से उपयोग नहीं कर पा रही हैं । सारणियों से स्पष्ट है कि सर्वाधिक उत्तरदाता (22.26 प्रतिशत) 18 से 25 वर्ष की आयु समूह के हैं इसके विपरीत सबसे कम उत्तरदाता (0.64 प्रतिशत) 60 वर्ष से अधिक आयु समूह के हैं। जिसमें से सर्वाधिक उत्तरदाता (62.26 प्रतिशत) निरक्षर हैं इसके विपरीत (37. 74 प्रतिशत) उत्तरदाता साक्षर हैं। उपरोक्त सारणी के आधार पर कहा जा सकता है कि सरकारी/ गैर सरकारी योजनाओं के बाद भी इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं का निरक्षर होना एक दुखद घटना है। सारणी के आधार पर कहा जा सकता है कि सर्वाधिक उत्तरदाता (90.32 प्रतिशत) किसी प्रकार की भी राजनीति में भाग नहीं लेते जबकि केवल 9.68 प्रतिशत उत्तरदाता राजनैतिक क्रियाओं में भाग लेती हैं। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि बुक्सा जनजाति की महिलाओं में राजनैतिक सहभागिता एवं क्रियाशीलता में उपेक्षा का भाव पाया गया। 98.39 प्रतिशत उत्तरदाता यदि राजनीति में भाग लेते हैं तो केवल मतदाता के रूप में इसके विपरीत केवल 1.61 प्रतिशत उत्तरदाता स्वयं चुनाव लड़कर राजनीति में सक्रिय भागीदारी करती हैं। अधिकांश उत्तरदाताओं (56. 45 प्रतिशत) द्वारा मतदान राजनैतिक दल के आधार पर किया जाता है। जबकि 0.97 प्रतिशत उत्तरदाता किसी अन्य की सलाह पर अपना मतदान करते हैं। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि अधिकांश उत्तरदाता राजनैतिक दलों के शक्ति प्रदर्शन एवं कार्य प्रणाली से प्रभावित होकर अपने मत का प्रयोग करते हैं। वहीं अधिकांश उत्तरदाता (63.87 प्रतिशत) महिलाओं की राजनीति में सक्रिय सहभागिता उचित नहीं मानते। जबकि 36.13 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि महिलाओं को राजनीति में सक्रिय सहभागिता देनी चाहिए। संक्षेप में कहा जा सकता है कि निरक्षरता एवं अज्ञानता के कारण आज भी बुक्सा जनजाति की महिलायें राजनीति के क्षेत्र से दूर रहना ज्यादा पसंद करती हैं। किन्तु अध्ययन में यह पाया गया कि सामाजिक कार्यो के नेतृत्व की जहॉ बात आती है तो वह सक्रिय सहभागिता का निर्वहन करती हैं। जैसा कि 80.32 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने यह स्वीकार किया है कि वह सामाजिक कायों (सांस्कृतिक समारोह, धार्मिक उत्सव, विवाह समारोह आदि) में अपनी सक्रिय सहभागिता रखती हैं। जबकि 19.68 प्रतिशत उत्तरदाता केवल तटस्थ रहकर इन सामाजिक कार्यों में सहभागिता करती है। 36.77 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इस बात पर भी सहमति व्यक्त की है कि उच्च जाति या अन्य वर्गों से वैचारिक मतभेद के विरोध में राजनीति में आना चाहती हैं। सर्वाधिक 82.26 प्रतिशत उत्तरदाता अपने परिवार के सदस्यों को राजनीति में लाना चाहते हैं। जबकि 17.74 प्रतिशत उत्तरदाता अपने पारिवारिक सदस्यों को राजनीति में नहीं लाना चाहती। साथ ही साथ 83.23 प्रतिशत उत्तरदाताओ को राज्य सरकार/ केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं है। जबकि केवल 16.77 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि उन्हें इन योजनाओं का लाभ प्राप्त होता है। उपरोक्त सारणियों के आधार पर कहा जा सकता है कि बुक्सा जनजाति में राजनीतिक सहभागिता एक मिथक सी प्रतीत होती है।

सुझाव

बुक्सा जनजाति समाज की महिलाओं की पंचायत स्तर पर राजनीतिक सहभागिता को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार व केंद्र सरकार को विकासात्मक कार्यक्रमों को जमीनी स्तर पर लागू करना होगा । शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार करना होगा । शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य से संबंधित समस्त योजनाओं के विषय में बुक्सा जनजाति समाज की महिलाओं को जागरुक करना होगा । महिला सशक्तिकरण के साथ ही साथ महिला अधिकारों, महिला संरक्षण के लिए बनाए गए समस्त कानूनों व महिला विकास एवं जनजातीय उत्थान कार्यक्रमों को धरातल स्तर पर पहुंचाना सरकार की जिम्मेदारी होगी । सरकार के साथ ही साथ अजनजातीय समाज के लोगों को भी इस समाज के उत्थान के लिए अपना सहयोग एवं प्रोत्साहन प्रदान करना होगा । सूचना और संचार की आधुनिक तकनीकी का उपयोग करने के लिए लोगों को जागरुक करना व पंचायत के महत्व द्वारा ई–पंचायत स्तर पर अधिकारों की जानकारी प्रदान करना सरकार का कर्तव्य होगा । पंचायत स्तर पर बुक्सा जनजाति की महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए महिला आरक्षण के साथ ही साथ जनजातीय समाज की महिलाओं के उत्थान के लिए सरकार को जन–जागरूकता कार्यक्रमों को भी चलाना होगा ।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. *मजूमदार, डी0 एन0, रेसेज एण्ड कल्चरस ऑफ इण्डिया, एशिया पब्लिशिंग हाउस, बम्बई,1958, पृ0 सं0. 365.*
2. *बर्मन, बी0 के0 राय, ट्राइब्ल डेमोग्राफी, इन ट्राइब्ल सिचुएशन इन इण्डिया (ई0 डी0) के0 एस0 सिंह, इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी, शिमला, 1972, पृ0 सं0 5.*

3. गुहा, बी0एस0, रेसियल एलीमेन्ट्स इन इण्डियन पापुलेशन, आक्सफोर्ड पेम्पलट ऑन इण्डियन अफेयर्स, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, बम्बई,1944.
4. राय,एस0 सी0, अ. द ओराव ऑफ छोटा नागपुर, रॉची बार, लाइब्रेरी, रांची 1915 ब. द विरहोर्स ऑफ ए लिटिल नॉन जंगल ट्राइब ऑफ छोटा नागपुर मेड इन इण्डिया, रांची 1925.
5. उपाध्याय, कु0 गीता, जनजातीय शिक्षा के संरचनात्मक अवरोध (उत्तरांचल राज्य की बुक्सा जनजाति की शिक्षा का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन) वर्ष 2006–07, पेज नं0–30.
6. हट्टन, जे0 एच0, द सेमा नागाज, मैकमिलन एण्ड कम्पनी लंदन 1921.
7. एथोविन, द ट्राइब्ल्स एण्ड कास्ट्स ऑफ बाम्बे, खण्ड–3, सेन्ट्रल गवर्नमेण्ट प्रेस, बम्बई 1922.
8. ग्रिगसन, डब्लू0 वी0, द मारिया गौण्डस ऑफ बस्तर, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस लन्दन 1938.
9. मजूमदार, डी0 एन0, ए ट्राइव इन ट्रानजोशन ; ए स्टडी इन कल्चर पैटनर्स लॉगमेन्स ग्रीन एण्ड कं0 लन्दन,1939
10. एल्विन बेरियर, द बेगा, जॉन मरे एण्ड कं0 लन्दन,1939
11. फोर्ड, डी0 हैविटेट, इकोनॉमी एण्ड सोसाइटी मैथ्यिन एण्ड कं0 लन्दन, 1950
12. धुरिये, जी0 एस0, द एवोरिजनल्स : सो काल्ड एण्ड दियर फ्यूचर, गोखले इन्स्टीट्यूट ऑफ पोलिटिक्स एण्ड इकोनोमिक्स, पूना 1943.
13. दुबे, एस0 सी0, द कमार, यूनिवर्सल पब्लिशर्स, लखनऊ,1951
14. सक्सेना, आर0 एन0, सोशल इकॉनोमी ऑफ ए पोली–जैन्डर्स पीपुल एशिया पब्लिशिंग हाउस बाम्बे,1962.
15. विद्यार्थी, एल0 पी0, कल्चरल कन्टर्स ऑफ ट्राइबल बिहार, पन्थ पुस्तक, कलकत्ता 1965.
16. सनवाल, आर0 डी0, चेन्जेज इन कॉस्ट्स इन रुरल कुमायूँ पी0 एच0 डी0 थिसिस, यूनिवर्सिटी ऑफ लन्दन 1966.
17. इलिएट, एच0 एम0, रेसेज ऑफ नार्थ– वैस्टर्न प्रॉविन्सेस, खण्ड–1, 1869, देहली.
18. नैस फील्ड , जे0 सी0, डिस्क्रिप्सन ऑफ दी मैनर्स, इन्डस्ट्रीज एण्ड रिलीजन ऑफ दी थारुज एण्ड बोक्सा ट्राइब ऑफ अपर इण्डिया, कलकत्ता रिब्यू खण्ड–गगग1 1885.
19. स्टीवर्ड, जे0 एल0, जनरल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, पार्ट–प 1865.
20. एटकिन्सन, ई0 टी0, द हिमालयन डिस्ट्रिक्स ऑफ नार्थ–वेर्स्टन प्रॉविन्सेस ऑफ इण्डिया, खण्ड–प्प , कॉस्मो पब्लिकेशन, न्यू देलही 1974.
21. रिजले एच0, द ट्राइब्स एण्ड कास्टस ऑफ बंगाल, बंगाल सेक्रेटेरिएट प्रेस, कलकत्ता, 1891.
22. क्रुक विलियम द ट्राइब्स एण्ड कास्टस ऑफ नार्थ वेस्टन प्रॉविन्सेज एण्ड अवध, खण्ड–प, कॉस्मो पब्लिकेशन न्यू देहली, 1896
23. नेविल, एच0 आर0, डिस्ट्रिक्स गजेटियर ऑफ नैनीताल, खण्ड– ग्ग्प इलाहाबाद,1904.
24. ग्रियर्सन, जी0 एस0, लिंगविस्टिक सर्वे ऑफ इण्डिया, खण्ड–प, भाग दृप्, 1903
25. जोशी, एल0डी0, द खस फैमिली लैण्ड इन हिमालयन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द यूनाइटेड प्रॉविसेज ऑफ इण्डिया गवर्नमेंट प्रेस , इलाहाबाद 1924.
26. ब्लंट, ई0ए0 एच0, द कास्ट सिस्टम ऑफ नार्दन इन्डिया, लन्दन, 1931.
27. टर्नर, ए0सी0, सेन्सस ऑफ इण्डिया 1931 यूनाइटेड प्रॉविन्सेस ऑफ आगरा एण्ड अवध वोल्यूम– ग्टप्प पार्ट–प रिपोर्ट 1933
28. आइने–ए–अकबरी, खण्ड–प्प, पेज–375.
29. प्रधान, एच0 डी0, सोशल इकोनॉमी ऑफ द तराई, जनरल ऑफ यू0 पी0 हिस्टोरिकल सोसाइटी इलाहाबाद,1938.
30. कार्वे, इरावती, किनशिप ऑर्गनाइजेशन इन इण्डिया, एशिया पब्लिशिंग हाउस बम्बई,1965.
31. हेमन्डौर्क, सी0 फयूरर, एक्सपलोरेशन इन द ईर्स्टन हिमालयाज आसाम सरकार प्रेस, शिलांग,1947.
32. श्रीवास्तव, एस0 के0, द थारुज ए स्टडी इन कल्चरल डायनामिक्स आगरा विश्वविद्यालय, प्रेस आगरा,1958
33. मजूमदार, डी0 एन0, हिमालयन पोलीयन्ट्री, एशिया पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 1963.
34. श्रीनिवास, एम0 एन0, सोशल चेन्ज इन मॉर्डन इण्डिया, ओरियन्ट लांगमेन्स, दिल्ली,1977.
35. बिष्ट, सरोजनी, द बुक्साज ऑफ उत्त्राखण्ड हेविटांट सोसाइटी इकानॉमी एण्ड ट्रांसफोरमेशन इन बैकवर्ड कम्युनिटीज इन इंडिया(इडी)वाई बी0 एस0 विष्ट, ज्ञान पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली 1999.
36. बरुआ एण्ड फूकन, इन ईस्टर्न एन्थ्रोपोलोजी 514 एन्थ्रोग्राफिक्स एण्ड फोक कल्चर सोसाइटी , लखनऊ,1998.
37. बिष्ट , बी0एस0, **A.** थारु जनजाति में सामाजिक संगठन के स्वरुप एवं उनका आर्थिक जीवन पर प्रभाव, मानव एन्थ्रोग्राफिक एण्ड फोक कल्चर सोसाइटी, लखनऊ,1993. **B.** उत्तराखण्ड की जनजातियां एवं जातीय समीकरण इन उत्तराखण्ड टूडे(इडी) वाई के0 एस0 वाल्दिया, श्री अल्मोडा बुक डिपो, अल्मोडा 1996. **C.** उत्तरांचलः ग्रामीण समुदाय पिछडी जाति एवं जनजाति परिदृश्य, श्री अल्मोडा बुक डिपो, माल रोड़, अल्मोडा 1997.
38. बोस, एन0 के0, हिन्दू मैथड्स ऑफ ट्राइबल एब्जौर्पशन प्रोसीडिंग ऑफ इन्डियन साइंस कांग्रेस, कलकत्ता 1941.
39. हसन अमीर, बुक्साज ऑफ तराई, स्टरलिंग पब्लिसर, नई दिल्ली 1974.
40. गोपाल के0 आर0, ट्राइब्स एण्ड देयर हैल्थ स्टेट्स, ए0 पी0 एच0 पब्लिशिंग कार्पोरेशन–5, अंसारी रोड़, दरियागंज, नई दिल्ली 1996.
41. देसाई, एन0, वूमन इन मॉर्डन इण्डिया, वारा पब्लिशर बाम्बे, 1957.
42. गुप्ता, अमित कुमार, वूमन एण्ड सोसाइटी, केटेरियन पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 1986.

43. *कुवर, इन्द्रजीत, द स्टेट्स ऑफ हिन्दू वूमन इन इंडिया, चप पब्लिकेशन, इलाहाबाद 1983.*
44. *कपूर प्रमिला, मैरिज एण्ड द वर्किंग वूमन इन इंडिया, विकास पब्लिकेशन, दिल्ली 1970.*
45. *माथुर, दीपा, वूमन फैमिली एण्ड वर्क, रावत पब्लिकेशन 1952.*
46. *वर्मा, कु0 शशि, उत्तरांचल तराई में स्थित थारु एवं बुक्सा जनजाति की महिलाओं की प्रस्थिति का एक तुलनात्मक अध्ययन, वर्ष 2006–2007, पेज नं0 14–16,*
47. *कु0 षषि वर्मा :– उत्तरांचल तराई में स्थित थारू एवं बुक्सा जनजाति की महिलाओं प्रस्थिति का एक तुलनात्मक अध्ययन, षोध प्रबन्ध– 2006–07,पृ0सं0 – 20.(अप्रकाषित षोध प्रबन्ध कु0 वि0 वि0 नैनीताल).*
48. *डॉ0 वी0 एस0 बिश्ट, ''उत्तराँचल ग्रामीण समुदाय, पिछड़ी जाति एवं जनजातीय परिदृष्य'' श्री अल्मोड़ा बुक डिपो मालरोड, अल्मोड़ा 1997, पृ0 सं0– 177, 179.*
49. *श्रीवास्तव ए0 एन0 :– ''उत्तर प्रदेष की जनजातियाँ'' के0 के0 पब्लिकेषन्स 875, कटरा इलाहाबाद–211002, पृ0 सं0 231.*
50. *ग्रिगसन जी0 ए0 :– '' लिंगविस्टिक सर्वे ऑफ इण्डिया'' वाल्यूम 1 पार्ट 2.*
51. *नेविल एच0 आर0 – ''डिसट्रिक गजेटियर ऑफ नैनीताल'',इलाहाबाद, वाल्यूम गगपअ ,1904.*
52. *डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद बलोदी– ''उत्तराखण्ड समग्र ज्ञानकोष'', बिनसर पब्लिषिंग कं0 देहरादून, 2008, पृ0 सं0 – 202.*
53. *लोक सूचना अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी बाजपुर, ऊधमसिंह नगर , '' सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार सूचना, दिनाँक 14–10–2014, बिन्दु 01 से 09 तक.*